

प्रेषक,

एम.एस. चौहान,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन एवं पुर्नवास अनुभाग,

देहरादून : दिनांक 05 जुलाई, 2013

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में मानसून अवधि के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति के सम्बन्ध में राहत सहायता आदि उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-475/XVIII-(2)/F/13-4(27)/2010, दिनांक 27 जून, 2013 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानसून अवधि में आपदा से हुई क्षति के सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय राहर्ष रीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- आपदा में क्षतिग्रस्त साधारण किस्म के ढाबे/अन्य दुकानों को ₹ 50,000/- (अधिकतम धनराशि ₹ 01 लाख) की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- 2- आपदा में पूर्णतः क्षतिग्रस्त होटल हेतु ₹ 2.00 लाख, ₹ 2.00 लाख से ₹ 10.00 लाख तक की क्षति होने पर कुल क्षति का 30 प्रतिशत, ₹ 10.00 लाख से ₹ 20.00 लाख तक की क्षति होने पर कुल क्षति का 20 प्रतिशत एवं ₹ 20.00 लाख की अधिक की क्षति होने पर कुल क्षति का 10 प्रतिशत की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- 3- आपदा प्रभावित परिवारों, जिनके गांव पूर्णरूप से सड़क मार्गों से Cut-off हो गये हैं, को माह जुलाई, 2013 में प्रति 05 सदस्यों पर 15 कि०ग्रा० चावल, 15 कि०ग्रा० आटा, 05 कि०ग्रा० दाल, 03 कि०ग्रा० चीनी, 01 लीटर तेल, मसाले, नमक, माचिस एवं 10 लीटर केरोसीन तेल जिसमें परिवहन का व्यय भी सम्मिलित है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।
- 4- वर्तमान में आयी प्राकृतिक आपदा से अनाथ हुए बच्चों का पालन-पोषण का व्ययभार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- 5- वर्तमान में आयी प्राकृतिक आपदा से गन्ने की फसल की क्षति के सम्बन्ध में राहत धनराशि सदाबहार फसलों/फलों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक देय होगी।

6- उक्तानुसार क्षतिग्रस्त होटल की क्षति का निर्धारण किये जाने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता समिति के सदस्य होंगे, जो आपदा से हुई क्षति की गणना कर सम्बन्धित जिलाधिकारी को अपनी संस्तुति उपलब्ध करायेंगे।

7- उक्तानुसार भुगतान की जानी वाली धनराशि का वहन मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0- 56 NP/XXVII(5)/13-14 की दिनांक 04.07.2013 द्वारा दी गई सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भ.दीय,

(एम.एस.चौहान)

अनु सचिव

संख्या-485(1)/XVIII-(2)/2013-4(27)/10TC, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी), ओबैराय बिल्डिंग, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- आयुक्त, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
- 7- राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 8- अधिशासी निदेशक, डी.एम.एम.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम.एस.चौहान)

अनु सचिव